रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 1985/फाल्गुन 30, 1906
No. 134] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 1985/PHALGUNA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 206 (अ):—चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में राजा का सहसपुर स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाली अयोध्या चीनी मिल का प्रबन्ध, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 695(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 1978, द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 2 दिसम्बर, 1978 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था ;

और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 859 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 1981 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध, 1 दिसम्बर 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की और अवधि के लिए, केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश का. आ. सं. 882 (अ), तारीख, 26 नवम्बर, 1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया था कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध 31 मार्च, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध 1 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध 1 दिसम्बर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ।

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 21st March, 1985

ORDERS

S.O. 206(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 695(E), dated the 1st December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Ajudhia Sugar Mills manufacturing sugar at Raja-ka-Sahaspur in the District of Moradabad in the State of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the 2nd day of December, 1978 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Food), No. S.O. 859(E), dated the 1st December, 1981, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period of three years upto and inclusive of the 1st December, 1984 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 882(E), dated the 26th November, 1984 the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 1st December, 1985 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 1st December, 1985.

का. आ. 207 (अ) :—चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन महाराष्ट्र राज्य में बुलडाना जिले में शंकरनगर स्थित जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड का प्रबंध भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 705 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा 13 दिसम्बर, 1978 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था ;

और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 895 (अ), तारीख 11 दिसम्बर, 1981 केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया था कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 12 दिसम्बर, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश का. आ. 909 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया था कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 31 मार्च, 1985 तक; जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध 12 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहे ;

अत: केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 12 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ।

S.O. 207(.E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 705(E), dated the 8th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order) the management of the Jijamata Sahkari Sakhar Karkhana Limited, manufacturing sugar at Shankarnagar in the District of Buldana in the State of Maharashtra was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the 13th day of December, 1978 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Food), No. S.O. 895(E), dated the 11th December, 1981, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period of three years upto and inclusive of the 12th December, 1984 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 909(E), dated the 7th December, 1984, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 12th December, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertaking (Taking Over of Management) Act, 1978

(49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 12th December, 1985.

का. आ. 208 (अ):—चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में केशोरायपाटन स्थित चीनी का विनिर्माण कर रही श्री केशोरायपाटन शुगर मिल्स का प्रबंध भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 704 (अ) तारीख, 8 दिसम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 13 दिसम्बर, 1978 प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था ;

और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 894 (अ), तारीख 11 दिसम्बर, 1981 केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया था कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 12 दिसम्बर 1984 तक, और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा;

और भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश का. आ. 908 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 31 मार्च, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 12 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहे ;

अतः केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 12 दिसम्बर, 1985, तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार मे निहित रहेगा ।

S.O. 208(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 704(E), dated the 8th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order) the management of Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Keshoraipatan in the District of Bundi in the State of Rajasthan was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the 13th day of December, 1978 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Food), No. S.O. 894(E), dated the 11th December, 1981, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period of three years upto and inclusive of the 12th December, 1984 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 908(E), dated the 7th December, 1984, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 12th December, 1985 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said Sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 26th December, 1985.

का. आ. 209 (अ) :—चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य में देवरिया जिला में देवरिया स्थित चीनी का विनिर्माण कर रही देवरिया शुगर मिल्स लिमिटेड का प्रबंध भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 727 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा 27 दिसम्बर, 1978 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था ;

और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का.आ. 896(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 1981, द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया था कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 26 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश का. आ. 910 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया था कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध 31 मार्च, 1985, तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी मिल का 26 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहे ;

अतः केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 26 दिसम्बर, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ।

S.O. 209(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 727(E), dated the 26th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order) the management of the Deoria Sugar Mills Limited manufacturing sugar at Deoria in the District of Deoria in the State

of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the 27th day of December, 1978 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Food), No. S.O. 895(E), dated the 11th December, 1981, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period of three years upto and inclusive of the 26th December, 1984 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 910(E), dated the 7th December, 1984, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 26th December, 1985 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 26th December, 1985.

का. आ. 210 (अ) :—चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य में देवरिया जिले में बैतालपुर स्थित चीनी का विनिर्माण कर रही श्री सीताराम शुगर कम्पनी लिमिटेड, का प्रबंध भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 726 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा 27 दिसम्बर, 1978 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था ;

और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 897 (अ), तारीख 11 दिसम्बर, 1981, द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया था कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 26 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश का. आ. 911 (अ), तारीख, 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध 31 मार्च, 1985, तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 26 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार मे निहित रहे ;

अतः केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध 26 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, आगे और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ।

[फा. सं. 1-4/84-रा. ची. उ.]

एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव

S.O. 210(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 726(E), dated the 26th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order) the management of the Shree Sitaram Sugar Company manufacturing sugar at Baitalpur in the District of Deoria in the State of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the 27th day of December, 1978 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Food), No. S.O. 897(E), dated the 11th December, 1981, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period of three years upto and inclusive of the 26th December, 1984 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 911(E), dated the 7th December, 1984, the Central Government directed that the management of the said sugar mill would continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 26th December, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said Sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period upto and inclusive of the 26th December, 1985.

[File No. 1-4|84-NSU].

N. R. BANERJI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985